न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-01/2015

1- हणमान पुत्र औंकार
2- मामराज पुत्र औंकार
जाति माली निवासी दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

--अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- सेडूराम पुत्र देवाराम
2- जगदीश प्रसाद पुत्र पोखर
3- झाबरमल पुत्र पोखर
4- बनवारीलाल पुत्र पोखर
5- मदनलाल पुत्र रामेश्वर
6- सोहनलाल पुत्र रामेश्वर
7- महावीर पुत्र रामेश्वर
8- कैलाशचन्द्र पुत्र रामेश्वर
9- रामावतार पुत्र रामेश्वर
10-अणाची बेवा रामेश्वर
जाति माली निवासी दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

11- गुलाबी पुत्री रामेश्वर पत्नी श्रीराम जाति माली निवासी दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी दादी का फाटक आनन्द बिहार ए जयपुर

12- उप पंजीयक/ तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24-12-2014 द्वारा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ।

---0---

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया-एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री भवानीसिंह शेखावत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 20.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलान्टस् ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 32/1127, 33, 37, 38, 39, 31/1125 कुल किता- 6 रकबा 4.54 हैक्टर तन ग्राम होद की वर्तमान में खातेदारी 1/3 हिस्सा अप्रार्थी सं0- 2 से 4 तथा हिस्सा 2/3 अप्रार्थी सं0-1 व अप्रार्थी सं0- 5 से 11 के पिता/पति मृतक रामेश्वर के नाम दर्ज है । जो गलत दर्ज है । उक्त आराजी के गत खसरा नं0 161, 163, 164 व 166 थे । वादीगण व दावे में तरतीबी प्रतिवादी सं0-15 व 16 एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के है । जिसमें अमरा के दो पुत्र लादू(फौत) एवं देवा(फौत) हुये लादू के दो पुत्र औकार व नरसा हुये जिसमें नरसा लापता हो गया तथा औंकार के गोविन्द हणमान मामराज व श्योकारी हुई । तथा देवा के तीन पुत्र पोखर सेडू व रामेश्वर हुये । पोखर के जगदीश, झाबर व बनवारी हुये तथा रामेश्वर के मदन, सोहन, महावीर, कैलाश, रामावतार अणाची (बेवा) तथा गुलाबी पुत्री हुये । इस प्रकार सजरा खानदान के अनुसार विवादित आराजी प्रार्थीगण व दावे में तरतीबी प्रतिवादी सं0-15 व 16 व अप्रार्थीगण की संयुक्त परिवार की पैत्रिक है। जिस पर सजरा खानदान के अनुसार 1/2 हि0 प्रार्थीगण व दावे में तरतीबी प्रतिवादी सं0-15 व 16 के कब्जा काश्त की है । तथा 1/2 हिस्सा पर अप्रार्थीगण काबिज काश्तकार दर्ज है ।किन्तु परिवार में देवा कर्ता खानदान था जिसने सैटलमेन्ट कर्मचारियों से साजकर उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवा ली तथा बाद में अप्रार्थीगण ने अपने अपने नाम दर्ज करवा ली । जबकि खसरा गिरदावरियों में प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं0-15 व

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

।6 के बुजुर्गलादू व औकार का नाम दर्ज है। जिससे इस आराजी पर प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं0-।5 व ।6 का कब्जा काश्त बखूबी साबित है । अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें, कब्जा काश्त में कोई मजाहमत नहीं करें, राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय आदेशिका में पारित किया है जिसका न तो कोई उनवान है और न ही कोई अलग से निर्णय है जो निर्णय की परिभाषा में ही नहीं आता है । अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना मात्र कयासों के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है ।अदालत मातहत ने विवादित आराजी में अमरा का सम्बन्ध नहीं होना मानकर निर्णय पारित किया है । जबकि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अमरा का सजरा खानदान दर्ज किया है । जिसको रेस्पोडेन्टस् ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है ।अदालत मातहत ने सुविधा के संतुलन के बिन्दू को तय करते समय भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा सन् ।980 में दिये गये नोटिस के समय प्रार्थीगण द्वारा कोई क्लेम या आपत्ति नहीं करने को आधार माना है। जबकि कानूनन ऐसे किसी आधार को मान्य किये जाने का कोई आधार नहीं है । सन् ।980 में जो भूमि आवाप्त की गई वो केवल मात्र देवा व देवा के वारिसान के हक हिस्से की भूमि में से ही अवाप्त की गई थी । जिस बाबत प्रार्थीगण के द्वारा एतराज नहीं किया जाना स्वाभाविक था ।इसलिये अवाप्ति के नोटिस को आधार मानकर सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानकर निर्णय करने में कानूनी भूल की है । जबकि अपीलान्ट ने अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रकरण को बखूबी साबित किया है ।रेस्पोडेन्ट ने जबाब प्रार्थना पत्र में देवा पुत्र अमरा व लादू पुत्र अमरा की अलग अलग खातेदारी की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी

भूमियां होने का कथन किया है। जबकि विवादित आराजी के अलावा अन्य कोई भी भूमि लादू पुत्र अमरा के खाते में नहीं है । न ही रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है ।विवादित आराजी खसरा गिरदावरी सं0-2012 से 2033 तक अपीलान्ट के पूर्वज औंकार पुत्र लादू के कब्जा काश्त में दर्ज है ।विवादित आराजी पर अपीलान्ट के पूर्वज का कब्जा काश्त होते हुये अदालत मातहत ने इस कब्जा काश्त को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत में प्रार्थीगण का दावा खातेदारी उद्घोषणा का था । जिसमें प्रार्थना पत्र को खारिज कर रेस्पोडेन्ट को खुल्ली स्वतन्त्रता दी गई है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक भूमियां हैं ।जिन पर अपीलान्ट के पूर्वजों का कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी सं0-2012 से 2033 में दर्ज रहा है। विवादित आराजी में लादू अपीलान्ट का पूर्वज काबिज काश्तकार रहा है ।किन्तु देवा परिवार में कर्त्ता खानदान होने से सैटलमेन्ट के दौरान इस आराजी को अपने नाम से दर्ज करवाली तथा देवा के बाद यह आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुई । जिस पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । जबकि रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के जबाब में खसरा खानदान को स्वीकार किया है । इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर पूर्वजों के समय से अपीलान्ट काबिज काश्तकार दर्ज चले आ रहे है । अपीलान्ट का दावा उक्त आराजी के बाबत खातेदारी उद्घोषणा का है । जिसमें प्रार्थना पत्र को खारिज कर रेस्पोडेन्ट को आराजी को खुर्द बुर्द करने व अपीलान्ट को बेदखल करने व कब्जा करने की स्वतन्त्र छुट दे दी है । जबकि खसरा गिरदावरियों से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला साबित है । तजरा खानदान स्वीकार होने से तथा खसरा गिरदावरीयों में लादू का कब्जा होने से सुविधा का सन्तुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में है जिसको अदालत मातहत ने महज अवाप्ति आदेश में दिये गये नोटिस पर कोई कोम अथवा आपत्ति नहीं करने पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन मानकर आदेश पारित किया जो विधि के विपरित है । जबकि सन् 1980 में अवाप्ति का जो नोटिस दिया गया था वह देवा की भूमि के बाबत दिया गया था जिसमें अपीलान्ट को कोई ऐतराज नहीं था । इस प्रकार अदालत मातहत ने अवाप्ति नोटिस का निष्कर्ष गलत निकालकर आदेश एवं पारित करने मे कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित बताते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक अथवा संयुक्त परिवार की आराजी नहीं है । इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में पेश नहीं की है । अपीलान्ट का यह कथन कि देवा कर्ता खानदान था गलत है । परिवार का बडा पुत्र लादू था जो परिवार का कर्त्ता खानदान था ।अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । इस आराजी की खातेदारी देवा पुत्र अमरा के नाम से तथा देवा के देहान्त के बाद इस आराजी की खातेदारी रेस्पोडेन्ट्स के नाम से रही है । सन् 1980 में विवादित आराजी के बाबत अवाप्ति अधिकारी ने अपीलान्ट को नोटिस दिया था किन्तु अपीलान्ट ने इस आराजी के बाबत इस नोटिस का कोई जबाब नहीं दिया और न ही किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर की है । इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है ।अपीलान्ट ने दावा में सभी सहखातेदारों को मुताबिक जमा--बन्दी के पक्षकार नहीं बनाया है। इससे भी अपीलान्ट का दावा आवश्यक पक्षकारों के अभाव में पोषणीय नहीं है और जब दावा ही पोषणीय नहीं है तो प्रार्थना पत्र का पोषणीय होने का प्रश्न ही नहीं है ।अदालत मातहत ने

विवेचन कर अपना निर्णय दिया । जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2066 से 2069 विवादित आराजी रेस्पोडेन्टस् की खातेदारी में दर्ज है ।खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2027 में विवादित बाराजी ठि0 खण्डेला पाना खुर्द की जागीर में तथा काश्त देवा वल्द अमरा के नाम दर्ज है । खसरा गिरदावरी सं0-2013 से 2016 में विवादित आराजी में देवा वल्द लादू व कहीं देवा वल्द अमरा तथा सम्वत 2014 में लादू, औकार पुत्र लादू, सुरजा खेता पिता लादू आदि की काश्त दर्ज है मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने नजीर आरआरडी 1983, पेज-712 आर आरडी 1993 पेज 431, आरएलडब्लू 2006(1) राज पेज 52, आरआरसी 1988 पेज 556 एवं आरआ आर सी-1999 पेज 362 पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत नजीरों में कब्जा काश्त का आधार खसरा गिरदावरी को माना है । मेरा कब्जा काश्त खसरा गिरदावरियों से साबित है । जिसको अदालत मातहत ने न मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है।विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों में लादू का लगातार कब्जा नहीं तथा अमरा का कोई राजस्व रेकार्ड नहीं है जिससे यह आराजी पैत्रिक मानी जा सके ।दूसरी तरफ विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने नजीर आरआरटी 2015(1) 618, 633, आरआरटी 2014(2)पेज-1301, 1168, आरआर टी 2014(1) पेज 523, आरआरटी 2014-15(एस0सी0) पेज 657, आरआरटी 2011-12(एस0सी0) पेज 192, 217, आरआरटी 2013 पेज 123, आरआरडी 1997 पेज-30, आरआरटी 2013(2) पेज 828, आरआरटी 2010(2) पेज 1392 आरआरटी 2006(1) पेज 192, आरआरटी 2004(2) पेज 926 व 1045 तथा आरआरटी 2003 पेज 981 पेश की जिसमें रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । राजस्व रेकार्ड के अनुसार रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है । जिनको प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता ।योग्य

निर्णय दिया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी खण्डेला का निर्णय दिनांक 24-12-14 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.12.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर